एच0सी0 अवस्थी
आई0पी0एस0

डीजी परिपत्र संख्या – 13 /2020
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।
पुलिस मुख्यालय, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ
दिनांकः अप्रैल 10,2020

विषयः व्यक्तियों की गिरफ्तारी से पूर्व, गिरफ्तारी के समय तथा रिमाण्ड के समय प्रभावी विधिक सहायता उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

प्रिय महोदय,

आप सभी अवगत है कि मानवाधिकारों की रक्षा करना हम सभी का परम कर्तव्य है। व्यक्तियों की गिरफ्तारी तथा उसके बाद अपनायी जाने वाली प्रक्रिया के सम्बन्ध में समय–समय पर इस मुख्यालय से पार्श्वांकित परिपत्र निर्गत किये गये है।

डीजी/मा0प्र0–2/97 दि0–29.03.1997
डीजी–परिपत्र–14/97 दि0–23.09.1997
डीजी–परिपत्र सं0–1/2002 दि0–23.01.2002
डीजी–परिपत्र सं0–36/2003 दि0–24.11.2003
आ0शा0परिपत्र सं0–डीजी–41 /2014 दि0 17.06.2014

2. प्रायः देखने में आ रहा है कि मुख्यालय स्तर से निर्गत निर्देशों का अनुपालन सम्यक् रूप से नहीं किया जा रहा है।

3. निर्धनता के कारण कुछ व्यक्ति अधिवक्ता की सहायता लेने में असमर्थ होते हैं। विधिक सहायता प्राप्त करना प्रत्येक व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार है। निर्धन व असहाय व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त हो, इसके लिये जनपद स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया है। व्यक्तियों की गिरफ्तारी से पूर्व, गिरफ्तारी के समय तथा रिमाण्ड स्तर पर विधिक सहायता उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **शीला बरसे बनाम महाराष्ट्र राज्य 1983 AIR 378** में अपने निर्णय में भी इस सम्बन्ध में व्यापक दिशा–निर्देश दिये गये है। पारित निर्णय के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

".....whenever a person is arrested by the police and taken to the police lock up, the police will immediately give an intimation of the fact of such arrest to the nearest Legal Aid Committee (now District Legal Services Authority) and such Legal Aid Committee will take immediate steps for the purpose of providing legal assistance to the arrested person at State cost provided he is willing to accept such legal assistance."

4. इसी सन्दर्भ में वर्तमान में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (*NALSA*) के कार्यकारी अध्यक्ष, माननीय न्यायाधीश एन0वी0 रमना, मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली, द्वारा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को इस सम्बन्ध में निर्देश दिये गये हैं कि गरीब व असमर्थ व्यक्तियों को विधिक सहायता प्रदान कराये जाने के सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करें।

इसी क्रम में द0प्र0सं0 की धारा 41(घ) का भी उल्लेख किया गया है :

41–(घ) गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का पूछताँछ के दौरान अपनी पसंद के अधिवक्ता से मिलने का अधिकार –"जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है और पुलिस द्वारा पूछताँछ की जाती है, तब गिरफ्तार व्यक्ति पूछताँछ के दौरान अपनी पसंद के अधिवक्ता से मिलने का हकदार होगा किन्तु संपूर्ण पूछताँछ के दौरान नही।"

5. उपरोक्त न्यायिक निर्णय तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22(1) एवं द0प्र0सं0 की धारा 41**(घ)** में वर्णित उपबन्धों से स्पष्ट है कि प्रत्येक व्यक्ति को गिरफ्तारी से पूर्व, गिरफ्तारी के समय तथा रिमाण्ड स्तर पर विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार है।

6. अतः आप सभी को पुनः निर्देशित किया जाता है कि गरीब व असमर्थ व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु अपने अधीनस्थों को नियमानुसार निर्देशित करें कि वे ऐसे व्यक्तियों के सम्बन्ध में अपने जनपद के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (*DLSA*) को तत्काल सूचना प्रेषित करें। उपरोक्त निर्देशों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित कराते हुये गिरफ्तारी से पूर्व, गिरफ्तारी के समय तथा रिमाण्ड स्तर पर प्रत्येक व्यक्ति/गिरफ्तार व्यक्ति के विधिक सहायता प्राप्त करने के अधिकार को प्रभावी रूप से लागू करें।

भवदीय

(एच0सी0 अवस्थी)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण निदेशालय/ई0ओ0डब्लू/एस0आई0टी/सी0बी0सी0 आई0डी0/ अभिसूचना/फायर सर्विस उ0प्र0।
2. अपर पुलिस महानिदेशक पुलिस मुख्यालय/मानवाधिकार/रेलवे/अपराध/पी0ए0सी0/दूरसंचार उ0प्र0।
3. पुलिस आयुक्त, लखनऊ/गौतमबुद्धनगर।
4. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक उ0प्र0।
5. समस्त पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र उ0प्र0।